

संपादकीय

आंखों के सामने लुट रहा शहर

भोपाल

हो या इंदौर, जबलपुर हो या ग्वालियर, हर शहर की सीमा पर एक ही कहानी दिखती है। खेतों के बीच अचानक बोर्ड लग जाता है, नई कॉलोनी बुक करें, सस्ते प्लॉट। देखते ही देखते खेत छोटे-छोटे भूखंडों में बंट जाता है। वहां न सड़क होती है, न बिजली, न पानी और न सीवर। फिर भी लोग मकान बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि कॉलोनी जल्द वैध हो जाएगी। यह कारोबार प्रशासन की निगाहों के सामने फलता-फूलता है।

क्या नगर निगम को पता नहीं चलता कि उसके वार्ड में नई कॉलोनी काटी जा रही है? क्या जिला प्रशासन को कृषि भूमि पर हो रही प्लॉटिंग की खबर नहीं लगती? क्या नगर तथा ग्राम निवेश विभाग सो रहा है? अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी जिन विभागों की है, उनकी निष्क्रियता पर सवाल उठते रहे हैं। समय पर कार्रवाई नहीं होने से अवैध कॉलोनाइजरों के हौसले बढ़ते हैं। नोटिस जारी होते हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई के अभाव में प्लॉट बिकते रहते हैं।

इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान उस आम आदमी का होता है, जो जिंदगी भर की कमाई लगाकर छोटा-सा प्लॉट खरीदता है। वह किराए के मकान से मुक्ति पाने और अपने परिवार को छ्त देने का सपना देखता है। पत्नी के गहने बेचकर या कर्ज लेकर प्लॉट खरीदता है और धीरे-धीरे मकान बनाता है। बाद में पता चलता है कि कॉलोनी अवैध है। वहां सड़क, पानी, बिजली और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। फिर उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

गलती प्रशासन की लापरवाही की हो और सजा आम आदमी भुगत, यह कैसी व्यवस्था है? अवैध कॉलोनियों के कारोबार में केवल कॉलोनाइजर ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब खेतों में सड़कें बन रही थीं और प्लॉट बिक रहे थे, तब जिम्मेदार विभाग कहां थे? कार्रवाई के नाम पर केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है। दोषी अधिकारियों और संरक्षण देने वालों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

प्रदेश में 7,981 अवैध कॉलोनियां चिन्हित होने के बावजूद अद्यतन आंकड़ों और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। सरकार को ड्रोन सर्वे कराकर सभी कॉलोनियों का नया रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। उनकी जियो टैगिंग कर जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्लॉट खरीदने से पहले नागरिक उसकी वैधता जांच सकें। पुराने आंकड़ों के आधार पर नई व्यवस्था बनाना पर्याप्त नहीं होगा। नई और पुरानी, सभी अवैध कॉलोनियों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

यदि सरकार वास्तव में सुधार चाहती है, तो जिम्मेदारी तय करनी होगी। अवैध कॉलोनी विकसित होने पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। नियम बनाने में देरी दूर कर पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए। आम आदमी की जिंदगी भर की कमाई बचानी है, तो केवल कॉलोनाइजर नहीं, उसे संरक्षण देने वाले पूरे तंत्र की जवाबदेही तय करनी होगी। अन्यथा लोग घर का सपना देखेंगे और हर बरसात में उनका सपना कीचड़ में डूबता रहेगा।

आजकल

बाजार किसका, जनता या कब्जेदार का

भोपाल का न्यू मार्केट केवल बाजार नहीं, एक एहसास है। यहां करीब 1200 दुकानदार हैं और रोज 50 हजार लोग आते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां चलने, निकलने और आग लगने पर फंस जाने का डर बढ़ा है। नगर निगम ने दुकानों के बाहर पीली लाइन खींचकर सामान उसके भीतर रखने का निर्देश दिया है। पहले भी लाल और पीली पट्टियां बनाई गई थीं, लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ। सवाल यह है कि इस फीट की दुकान सौ फीट तक कब्जा क्यों करें और इसे अपना हक क्यों बताएं?

दुकानदार बोर्ड, स्टैंड, डमी और सामान सड़क तक सजा देते हैं। नतीजा यह है कि फुटपाथ खत्म हो जाते हैं और एंबुलेंस तथा दमकल के लिए रास्ता नहीं बचता। हाल ही में न्यू मार्केट में हुई आगजनी ने इस समस्या की गंभीरता उजागर कर दी। बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? नगर निगम ने हॉकर्स को टीटी नगर स्टेडियम के पास हाट बाजार में स्थानांतरित करने और नो व्हीकल जेन खाली रखने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा के लिए है। बैठक में सभी व्यापारी संगठनों को बुलाना उचित होता। सबकी बात सुनना लोकातांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इससे अतिरिक्त को जायज नहीं ठहराया जा सकता। पीली लाइन दुकान की सीमा तय करती है, जहां दुकानदार का अधिकार समाप्त होता है और जनता का रास्ता शुरू होता है।

नगर निगम को पीली लाइन का सख्ती से पालन कराना चाहिए और उल्लंघन पर जुर्माना लगाना चाहिए। हॉकर्स को पानी, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाओं से युक्त व्यवस्थित स्थान मिले। व्यापारी भी बाहर कब्जा करने के बजाय दुकान के भीतर बेहतर व्यवस्था बनाएं। न्यू मार्केट को तय करना होगा कि वह कब्जे वाला बाजार बनेगा या जनता का। पीली लाइन केवल रंग नहीं, सुरक्षित आवागमन का वादा है। बाजार किसी की जागीर नहीं, जनता की सुविधा का स्थान है।

देश

की थाली में आज प्याज के दाम आंसू ला रहे हैं। बाजार में भाव 60 रुपये किलो तक पहुंच गया है। गरीब आदमी सब्जी में प्याज डालने से पहले दस बार सोच रहा है और ठीक उसी समय नासिक के सरकारी गोदामों में दस लाख क्विंटल प्याज सड़कर काला पड़ गया है। यह कैसा मजाक है, एक तरफ किल्लत और दूसरी तरफ बर्बादी! सरकार ने कुछ महीने पहले 23 रुपये किलो के हिसाब से लालगंगांव मंडी से प्याज खरीदा था। इरादा था कि जनता को राहत मिलेगी, लेकिन नाफेड और एनसीसीएफ जैसी संस्थाओं ने जो प्याज खरीदा, वह गोदामों में ही दम तोड़ गया। दो लाख क्विंटल से कुछ ज्यादा प्याज ही बाजार तक पहुंच गया, बाकी नौ लाख क्विंटल से अधिक अब कचरा बन चुका है। नासिक के चांदबड़ में जो दुग्ध है, वह लापरवाही की पराकाष्ठा दिखाता

है। गोदाम की निचली परत में पानी भर गया और पूरा प्याज उसमें डूबकर सड़ गया। अब वहां ऐसी दुर्गंध उठ रही है कि पास खड़ा होना भी मुश्किल है। अधिकारियों ने 30 सितंबर, 5 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को तीन बार नीलामी की कोशिश की। एक रुपये किलो का भाव लगाया, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं आया। अब अधिकारी कह रहे हैं कि इसे खाद बनाने के लिए दो से चार रुपये किलो में बेचा जाए। यानी जनता के पैसे से खरीदा गया 23 रुपये वाला प्याज अब खाद के भाव भी नहीं बिक रहा।

खराब माल खरीदने का मामला पहले ही सामने आ चुका था। सरकारी सतर्कता समिति ने अपनी रिपोर्ट में खराब गुणवत्ता का प्याज खरीदे जाने की बात कही थी, जो पहले से ही

आज

दुनिया में तरक्की को लेकर एक पुरानी सोच रही है कि कोई देश तभी आगे बढ़ सकता है, जब वह दूसरे देश को पीछे छोड़ दे। लेकिन हाल के एक बड़े वैश्विक मंच पर इस सोच को बदलने की कोशिश हुई है। कहा गया है कि भारत की तरक्की किसी दूसरे की कीमत पर नहीं, बल्कि दुनिया के साथ और दुनिया के लिए है। यह विचार सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी वैश्विक दृष्टि छिपी हुई है।

जब दुनिया में सस्ती दवाओं की बात होती है, तो भारत का नाम सबसे पहले आता है। बताया जाता है कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाली हर पांचवीं जेनेरिक दवा भारत में बनती है। इसका मतलब है कि अफ्रीका के किसी दूरदराज गांव या एशिया के किसी छोटे शहर में कोई गरीब मरीज इलाज करा पा रहा है, तो उसमें भारत की भूमिका है। यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है।

इसी तरह दुनिया आज भारत के युवाओं की प्रतिभा पर भरोसा करती है। सॉफ्टवेयर से लेकर अनुसंधान तक, हर क्षेत्र में भारतीय युवा काम कर रहे हैं और दुनिया को अपनी क्षमता का लाभ दे रहे हैं। खास बात यह है कि भारत ने कभी इस योगदान का ढिंढोरा नहीं पीटा और न ही कभी कहा कि हमने तुम्हारे लिए यह किया, इसलिए तुम हमें कुछ दो।

इसी मंच पर कहा गया कि भारत अपने योगदान का श्रेय नहीं मांगता। यह बात भारत की पुरानी परंपरा को दर्शाती है। हमारे यहां कहा गया है कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी अच्छा काम करके भूल जाओ। यही संस्कृति आज विदेश नीति में भी दिखाई देती है।

जब कोविड महामारी आई थी, तब कई बड़े देशों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन भारत ने सौ से अधिक देशों को टीके और दवाएं भेजीं। उस समय यह मदद किसी सौदे के तहत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे यह सोच थी कि संकट में सबको साथ रहना

मेरे सपनों का घर अब छोटा लगने लगा है तीन दिन में 1600 घरों ने बदली चाबी, यह केवल आंकड़ा नहीं



की गलियों में इन दिनों एक ही चर्चा है। नवरात्र आते ही रजिस्ट्री दफ्तरों में भीड़ क्यों बढ़ गई? तीन दिन में 1632 परिवारों ने अपने पुराने घर की चाबी किसी और को दी और नए घर की चाबी अपने हाथ में ली। यह केवल सरकारी आंकड़ा नहीं, हर उस मध्यमवर्गीय परिवार के दिल की धड़कन है, जो सालों से सोच रहा था कि कब उसका भी बड़ा घर होगा।

पहले नवरात्र में लोग बाजार से छोटी-सी मूर्ति लाते थे, अब लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, अपना घर खरीद रहे हैं। यह बदलाव बताता है कि भोपाल का आम आदमी अब केवल त्योहार नहीं मना रहा, बल्कि अपना भविष्य भी बुन रहा है। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, हर दूसरा व्यक्ति यही कहता मिलेगा कि उसका पुराना घर अब छोटा पड़ने लगा है। कभी इसी 400 वर्गफीट के मकान में माता-पिता ने बड़े अरमानों से गृह प्रवेश किया था। इसी घर में बच्चों ने पहला कदम रखा था। लेकिन आज बच्चे बड़े हो गए हैं। उन्हें पढ़ाई के लिए अलग कमरा चाहिए, नौकरी के लिए लैपटॉप रखने की जगह चाहिए और घर में कार खड़ी करने की जगह भी चाहिए।

400 से 600 वर्गफीट वाला मकान बेचने में दर्द भी है और खुशी भी। दर्द इस बात का कि जहां बचपन बीता, उसे छोड़ना पड़ रहा है। खुशी इस बात की कि अब 800 से 1200 वर्गफीट के घर में परिवार खुलकर सांस ले सकेगा। यह बदलाव मजबूरी से ज्यादा अपने परिवार को बेहतर सुविधाएं देने की चाहत का परिणाम है।

पिछले दस से बारह वर्षों में परिवार की परिभाषा बदल गई है। पहले एक कमरे में

नईदुनिया

दुनिया के लिए भारत की तरक्की का नया अर्थ



चाहिए। मंच पर तकनीक को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बात कही गई कि तकनीक का उपयोग लोगों को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए। भारत में इसका उदाहरण साफ दिखाई देता है। सस्ते डेटा ने पूरे देश को बदल दिया है। इसकी वजह से गांव का बच्चा भी ऑनलाइन पढ़ रहा है और छोटी दुकान भी ऑनलाइन भुगतान स्वीकार कर रही है। ठेले वाले से लेकर बड़े शोरूम तक, सभी एक ही डिजिटल व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। यह दुनिया के लिए एक नया मॉडल है, जहां तकनीक केवल अमीरों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है।

डेटा, ज्ञान और नवाचार को आज की ताकत

बताया गया है और यह सही भी है। आने वाला समय उसी का होगा, जिसके पास ज्ञान और तकनीक होगी। लेकिन भारत ने यह भी दिखाया है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।

भारत के लोकतंत्र की चर्चा भी इस मंच पर हुई। कहा गया कि सौ से अधिक भाषाएं, खुली बहस और अलग-अलग विचार भारत की ताकत हैं। दुनिया में कई जगह लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित है, लेकिन भारत में लोकतंत्र रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है। लोग खुलकर बोलते हैं, बहस करते हैं और असहमत होते हैं, फिर भी साथ रहते हैं। यही विविधता भारत को एक स्थिर और भरोसेमंद भागीदार बनाती है। पिछले दस वर्षों में पच्चीस करोड़

कागज पर आग से लड़ाई, जमीन पर सच्चाई

नए नियमों का शोर, पुरानी लापरवाही का बोझ



कहा

जा रहा है कि अब बेसमेंट में कारोबार नहीं होगा, बड़ी इमारतों में चौबीस घंटे प्रशिक्षित लोग तैनात रहेंगे और नियम तोड़ने पर सीधे जेल जाना पड़ेगा। पढ़ने में लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में रहने वाले लोग जानते हैं कि यह कहानी नई नहीं है। हर बड़ी आग के बाद नई गाइडलाइन आती है और कुछ महीनों में सब ठंडा पड़ जाता है। नियम पहले भी थे, लेकिन उन्हें मानता कोई नहीं था।

सबसे कड़वा सच यह है कि आज नए नियमों के नाम पर बताया जा रही कई बातें पहले से ही कानून की किताबों में मौजूद थीं। बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए होना चाहिए। वहां दुकान, किचन या क्लาสरूम नहीं बनाया जा सकता। अग्निशमन उपकरण लगाना, रास्ते खुले रखना और बिजली के तारों को सुरक्षित रखना पहले भी अनिवार्य था। इसके बावजूद कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चलते रहे, हॉस्टल के बच्चे वहां सोते रहे और रेस्टोरेंट के किचन वहीं चलते रहे। कारण नियमों की कमी नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने और करवाने वालों की लापरवाही है।

एक आम आदमी सोचता है कि यह सब छिपकर होता होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कई जगहों पर यह खुलेआम होता है। नगर निगम का अमला हर गली और वार्ड में घूमता है। उसे पता होना चाहिए कि कहां बेसमेंट में क्या चल रहा है। फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? टाउन प्लानिंग विभाग नक्शा पास करता है, फायर विभाग एनओसी देता है, विद्युत विभाग कनेक्शन देता है और नगर निगम लाइसेंस जारी करता है। हर विभाग दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है और इसी बीच नियमों का उल्लंघन जारी रहता है।

जमीनी हकीकत यह है कि कई जगह अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था नोटिस और औपचारिकताओं तक सीमित रह जाती है। घटना होने पर नोटिस जारी होता है, अखबारों में

लोगों के गरीबी से बाहर आने की बात भी कही गई। यदि यह आंकड़ा सही है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का गरीबी से बाहर आना केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं होता, बल्कि इसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना पड़ता है। 7.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि और सात सौ अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार भारत की मजबूती को दर्शाता है। साथ ही, हरित ऊर्जा में तेजी से बढ़ता निवेश बताता है कि भारत केवल आज के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोच रहा है।

भारत पहली बार इस बड़े आर्थिक मंच की मेजबानी कर रहा है। यह अपने आप में संकेत है कि दुनिया की आर्थिक बहस का केंद्र बदल रहा है। पहले ऐसी बहसें मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में होती थीं, लेकिन अब दुनिया मान रही है कि भविष्य की कहानी एशिया में लिखी जाएगी और उसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

यह मंच केवल भाषणों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े निवेशकों, नीति निर्माताओं और विचारकों को एक साथ लाता है। वहां भारत का यह कहना कि हम दुनिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण की एक नई सोच प्रस्तुत करता है। आज दुनिया युद्ध, जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी चुनौतियों से गुजर रही है। ऐसे में हर देश केवल अपने बारे में सोचेगा, तो कोई भी संकट हल नहीं होगा। भारत का संदेश यही है कि तरक्की का मतलब सबको साथ लेकर चलना है।

दवाएं, प्रतिभा और तकनीक देकर भारत ने दुनिया की मदद की है। बिना श्रेय मांगे मदद करना ही सबसे बड़ी मदद होती है। यही कारण है कि दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है, क्योंकि भारत केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक भरोसा है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

जमीनी हकीकत यह है कि कई जगह अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था नोटिस और औपचारिकताओं तक सीमित रह जाती है। घटना होने पर नोटिस जारी होता है, अखबारों में तस्वीरें छपती हैं और कुछ दिनों बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। यदि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ समय पर कार्रवाई होती, तो शायद कई हादसे रोके जा सकते थे। निजी एजेंसियों के सुरक्षा ऑडिट और अधिकारियों की जांच प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि कागजों पर सुरक्षित घोषित इमारतें वास्तव में सुरक्षित हों।

तस्वीरें छपती हैं और कुछ दिनों बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। यदि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ समय पर कार्रवाई होती, तो शायद कई हादसे रोके जा सकते थे। निजी एजेंसियों के सुरक्षा ऑडिट और अधिकारियों की जांच प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि कागजों पर सुरक्षित घोषित इमारतें वास्तव में सुरक्षित हों। बेसमेंट में कारोबार इसलिए भी बढ़ता है, क्योंकि वहां जगह कम किराये पर मिल जाती है। कोचिंग संचालक को बड़ी जगह मिलती है, रेस्टोरेंट संचालक किचन बना लेता है और हॉस्टल संचालक अधिक कमरे तैयार कर लेता है। लेकिन इस लालच की कीमत छात्र, मरीज और आम ग्राहक चुकाते हैं। बेसमेंट में आग लगने पर धुआं तेजी से भर सकता है और बाहर निकलने के रास्ते बंद होने पर जान बचाना मुश्किल हो जाता है।

इलेक्ट्रिक वाहन पार्किंग में हीट सेंसर और ऊंची इमारतों में अग्निशमन कर्मियों की तैनाती जैसे प्रावधान उपयोगी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पर्याप्त प्रशिक्षित अमल उपलब्ध है? कहीं ऐसा न हो कि सुरक्षा के नाम पर केवल एक गार्ड को वर्दी पहनाकर खड़ा कर दिया जाए।

बिना एनओसी इमारत चलाने या सील तोड़ने पर एफआईआर और जेल का प्रावधान तभी प्रभावी होगा, जब कार्रवाई निष्पक्ष हो। हादसे में मौत होने पर बिल्डर के साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हर इमारत की अग्नि सुरक्षा जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक हो और नागरिक ऑनलाइन उसकी एनओसी की वैधता देख सकें। नोटिस और वसूली की संस्कृति खत्म कर जवाबदेही तय करनी होगी।

आग ईट और सीमेंट से नहीं, लालच, लापरवाही और भ्रष्टाचार से लगती है। जब तक सरकारी और नगर निगम नियमों को ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे, तब तक कोई नया नियम लोगों की जान की गारंटी नहीं बन सकता।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

साठ रुपये में आँसू, गोदाम में सड़ांध

थाली से गायब, गोदाम में काला सोना बना कचरा

सड़ने की कगार पर था। सवाल यह है कि जब समिति ने चेतावनी दे दी थी, तो फिर इतना बड़ा स्टॉक क्यों खरीदा गया? खरीद से पहले गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं हुई? क्या किसी ने आखें बंद करके माल खरीद लिया या इसके पीछे कमीशन का खेल था? सरकार ने फिर



जांच बैठा दी है। नासिक के जिलाधिकारी को सभी खरीद केंद्रों और गोदामों का निरीक्षण कर 26 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। लेकिन जनता पूछ रही है कि जांच का ढिंढोरा आखिर कब तक पीटा जाएगा? प्याज सड़ने पर जांच, दाल सड़ने पर जांच और अनाज

चुकी थी, तो अब नई जांच किस बात की? सीधे कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है? क्या केवल गोदाम का चौकीदार या छोटा कर्मचारी जिम्मेदार है, या बड़े अधिकारी भी जवाबदेह हैं जिन्होंने भंडारण क्षमता की पर्याप्त व्यवस्था किए बिना इतनी बड़ी मात्रा में प्याज खरीदा? गोदामों में पानी निकासी, नमी नियंत्रण और हवा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यह केवल लापरवाही नहीं, सरकारी संसाधनों के प्रति गंभीर गैरजिम्मेदारी है।

इस बर्बादी की कीमत किसान, उपभोक्ता और देश की अर्थव्यवस्था चुका रहे हैं। किसान

ने खेत में पसीना बहाया, उपभोक्ता 60 रुपये किलो प्याज खरीद रहा है और सरकारी खजाने से खरीदा गया माल कचरा बन गया। यदि प्याज समय पर बाजार में पहुंचता, तो कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती थी।

अब जांच के नाम पर लीपापोती बंद होनी चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और सरकारी नुकसान की भरपाई के लिए नियमानुसार कदम उठाए जाएं। गोदामों की व्यवस्था वैज्ञानिक बनाई जाए और भंडारण की स्थिति की नियमित निगरानी हो। जब तक लापरवाही पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक प्याज ही नहीं, देश के दूसरे संसाधन भी इसी तरह सड़ते रहेंगे और हम जांच के ढिंढोरे पीटते रहेंगे।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)